का॰ज्ञ॰सं॰ II/13017/12/1975-रा॰भा॰ (ग), दिनांक 5 मई, 1975

विषय: अनुवाद से संबंधित कर्मचारियों/अनुवादकों के लिए अनुवाद के प्रशिक्षण की अनिवार्य व्यवस्था।

हिंदी के बढ़ते हुए प्रयोग को देखते हुए इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि हिंदी के प्रयोग में भाषा और शब्दावली दोनों ही दृष्टियों से एकरूपता हो, साथ ही भारत सरकार की नीति के अनुसार सरल और सुबोध भाषा का प्रयोग हो। इसी दृष्टि से केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में अनुवाद प्रशिक्षण की योजना शुरू की गई थी। गृह मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की 26 सितंबर, 1975 को हुई 18वीं बैठक में इस प्रश्न पर और गहराई से विचार किया गया और यह तय किया गया है कि केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो को अनुवाद प्रशिक्षण केंद्रीय सलाहकार के मंत्रालयों/विभागों के अनुवाद कार्य से संबंधित सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया जाए।

वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि अपने अधीन सभी कार्यालयों को इस निर्णय से अवगत करा दें और बारी-बारी से सभी उपयुक्त कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलवाएं। अनुवाद कार्य से संबंधित कर्मचारियों की सूची निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, के-76, हौज खास, नई दिल्ली-110016 (वर्तमान पता-पर्यावरण भवन, 8वां तल, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को भेज दी जाए, जिससे उन्हें एक से बैच बनाने में सुविधा हो।)